न्यायालय,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया।

जमानत आवेदन संख्या –784 / 2026

कोंच थाना काण्ड संख्या–545 / 2025

धारा–191(2),126(2),115(2),103(1),61(2),351(2) बी0एन0एस0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम।

1.राकेश कुमार, उम्र–31 वर्ष, पिता–रामजतन यादव

निवासी–दौलतपुर, केर, थाना–कोंच, जिला–गया

2.शैलेश कुमार, उम्र–23 वर्ष, पिता–मुकेश यादव

निवासी–गुरारू, थाना–गुरारू, जिला–गया————————————————अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार————————————————————————————अभियोजन पक्ष

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री कृष्णा कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजकः– श्री कमल किशोर पंडित

प्रस्तुत आवेदन जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

10.06.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त जो दिनांक 08.04.2026 से कारा में है, जो कोंच थाना काण्ड संख्या–545 / 2025 धारा– 191(2),126(2),115(2),103(1),61(2),351(2) बी0एन0एस0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित है। जिस पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इन्होंनें कोई अपराध नहीं किया है, आवेदकगण को इस वाद में झूँठा फॅसाया गया है। अतः आवेदक / अभियुक्तगण के जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक /अभियुक्तगण के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक / अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर मारपीट कर मृत्यु कारित करने का आरोप है। अतः आवेदकगण के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका रेखा कुमारी की शादी मृतक संजय कुमार से प्रेम विवाह हुयी थी। इसकी शादी से इनके परिवार वाले खुश नहीं थे। जिस कारण इन लोगों ने सुरत में जाकर शादी कर ली। शादी के पश्चात रेखा के माता–पिता एवं भाई उसे सूरत जाकर मृतक संजय कुमार के अनुपस्थिति में लेकर चले आये। सूचक का कहना है कि आवेदिका रेखा देवी ने संजय

कुमार को फोन करके ददरेजी तालाब के पास बुलायी, किन्तु वह वहां नहीं थी। इन्हें सूचना मिली कि इनके भाई को तालाब के पास तीन लोग मार रहे हैं। जब ये वहां जाकर देखे तो पता चला कि राकेश कुमार, आलोक कुमार, शैलेश कुमार के द्वारा इनके भाई को बुरी तरह से रस्सा में बांधकर मोटरसाईकिल से खिंचकर मारापीटा जा रहा था। आलोक कुमार मोटरसाईकिल चलाकर सूचक के भाई को खिंच रहा था। जब सूचक ने हल्ला किया तो शैलेश कुमार के द्वारा सूचक के भाई का पैर पकड़ लिया। जिसके बाद सूचक के सामने ही राकेश कुमार ने मृतक संजय कुमार के सर में तथा बांह में गोली मार दिया। जिसके बाद तीनों मोटरसाईकिल से भाग गये। जिसके पश्चात यह अपने भाई के प्राथमिकी उपचार हेतु अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे विशेष जांच हेतु मेडिकल अस्पताल, गया भेज दिया। जहां चिकित्सा के दौरान इनके भाई संजय कुमार की मृत्यु हो गयी। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक नवल कुमार, साक्षी–अजय कुमार, अजित कुमार, दिनेश यादव, साकेत बिहारी ने अपने बयान के दौरान यह कहा है कि आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ षड़यंत्र कर के मृतक संजय कुमार की हत्या कारित करा दी है, क्योंकि ये लोग संजय एवं रेखा कुमारी की शादी से खुश नहीं थे। आवेदक के संबंध में अभियोजन का आरोप है कि उसने कथित घ ाटना के समय मृतक के पैर को मोटरसाईकिल में बांधकर खींच रहा था तैथा सह अभियुक्त राकेश कुमार उसी समय मृतक के सर तथा बांह में गोली मारी। आवेदक गोली मारने वाले अभियुक्त राकेश कुमार के बहनोई हैं। कांड दैनिकी के कंडिका 67 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु गोली मारने के कारण हुयी है। अभियुक्तगण पर मृतक को गोली मारने का आरोप है। जिसके परिणामस्वरूप मृतक संजय कुमार की मृत्यु हो गयी है। इसलिए आवेदक/ अभियुक्तगण को जमानत देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II
गया